भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 889
गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

ऊर्जा लक्ष्य

889. श्री रितेश पाण्डेयः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई लक्षित क्षमता का अनुपात क्या है;

(ग) क्या लक्षित अक्षय ऊर्जा क्षमता गत पांच वर्षों में से किसी में भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य गत वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों से कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): देश में विगत 5 वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षमतावर्धन की दृष्टि से वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

(मेगावाट में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-15	3770	4031
2015-16	4460	7024
2016-17	16660	11321
2017-18	14550	11886
2018-19	15600	8532

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य को निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकाः-

i. जनोपयोगी स्तर के सौर विद्युत लक्ष्यों को पूरा करने में प्रमुख चुनौतियाँ भूमि अधिग्रहण और विद्युत निष्क्रमण अवसंरचना में विलंब होना है।

ii. रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-I के कार्यान्वयन के दौरान रूफटॉप सौर संस्थापनाओं की धीमी प्रगति मुख्यतः विविध अनुमोदन प्रक्रिया, एक समान विनिमयों के अभाव, राजस्व नुकसान के प्रति वितरण कंपनियों के भय, जन-जागरुकता आदि के कारण हुई।

iii. पवन विद्युत के अंतर्गत कम क्षमता वर्धन पवन विद्युत क्षेत्र का फीड-इन-टैरिफ व्यवस्था से पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया तंत्र में परिवर्तित होने और कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के कारण हुई है।

iv. राज्य सरकारी निकायों द्वारा सांविधिक अनापत्तियों में विलंब।

(घ) देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कुल 11,800 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) और (च): पिछले वर्षों के अनुभव और साथ ही परियोजना विकासकर्त्ताओं के समक्ष आ रहे अवरोधों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में पूरी की गई बोली और देश में संस्थापित की जाने वाली संभावित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या के आधार पर सरल लक्ष्य रखा गया है।

*****